बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

ekfld izfrosnu

मई 2019

fcgkj jkT; vkink izca/ku izkf/kdj.k

¼vkink izca/ku foHkkx] fcgkj ljdkj½

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

fo"k; lph i`t u-

(A) vfHk;rkvk@okLrfonk@lnk@jktfefL=;k dk HkdEijkf/kh fuek.k rduhd l lcf/kr if'k{k.k 01&04

(B) e[;e=h fo|ky; lj{kk dk;Øe 05&06

(C) ljf{kr rjkdh dk;Øe d vrxr ekLVj Vªu l dk if'k{k.k 07&08

(D) vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o ic/ku fo"k; ij ipk;r ifrfuf/k;k dk if'k{k.k dk;Øe 09&10

(E) vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o ic/ku fo"k; ij fcgkj d lHkh ftyk d p;fur i[k.Mk d ie[k ,o ftyk ifj"kn v/;{k dk jkT; Lrjh; if'k{k.k dk;deA 11&13

(F) **"Management of Animal in Emergencies" विषय पर बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण** 14&15

(G) cg eftyh ,o 0;olkf;d Hkouk ¼futh ,o ljdkjh½] vLirkyk e vfXu lj{kk lcf/k dk; ;ktuk 2017 ij ,d fnolh; leh{kkRed cBdA 16&17

(H) fcgkj e xe gok,@y dh dk; ;ktuk **(Heat Action Plan)** ij dk;'kkykA 18

(I) ck< lj{kk lIrkg ¼01&07 tu 2019½ dh r;kfj;k gr vk;kftr cBdA 19

(J) 'kgjh ck< dh jkdFkke 'keu vkj r;kjh gr iVuk ?kk"k.kk i= d vkyksd e leh{kkRed cBdA 20&21

(K) **Mass Messaging/Whatsapp Advisory** 22&25

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

Mason Training on 25-31 May 2019 at Gaya District

ekfld ifronu ¼eb] 2019½

(A) vfHk;ark@okLrqfon@lqondk@jktfeL=;ksa dk HkwdEijks/kh fuekZ.k rduhd ls lcaf/kr izf'k{k.kA

(1) दिनांक 07 से 10 मई 2019 को गया जिला के 29 vlSfud vfHk;arkvksa को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

(2) दिनांक 22–23 मई 2019 को राजमिस्त्रियों के भावी प्रशिक्षक तैयार/आगामी प्रशिक्षण करने के लिए दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स सम्पादित किया गया। इस प्रशिक्षण में 59 izf'k{kqvksa ने भाग लिया।

(3) दिनांक 25 से 31 मई 2019 को गया जिला के 18 प्रखंडों (नीमचकबथानी, अतरी, खिजरसराय, मानपुर, वजीरगंज, मुहरा, कोंच, टेकारी, बेलागंज, गया सदर, परैया, गुरारू, टनकुप्पा, फतेहपुर, मोहनपुर, बाराचट्टी, डोभी, बोधगया) में 481 jktfeL=;ksa को प्रशिक्षित किया गया।

(4) दिनांक 29 मई से 01 जून 2019 को गया जिला के 33 vlSfud vfHk;arkvksa को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

मार्च 2019 तक कुल 5899 राजमिस्त्री एवं 1435 vlfud vfHk;rk प्रशिक्षित किये गये थे। इस प्रकार मई 2019 तक कुल 5899 $ 481 ¾ 6380 jkt fefL=;k को एवं 1435$29$33 ¾ 1497 vlfud vfHk;rkvk को प्रशिक्षित किया गया।

माह मई 2019 में संचालित कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अगले पृष्ट पर द्रष्टव्य है :–

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

eb 2019 e lpkfyr dk;Øek dk fooj.k

Engineers Training/Refresher Course			
Sr.	**Name of Program**	**Training Date/ Venue**	**No. of Participants**
1	4 Days Engineers Training	07-10 May-19/Gaya	29 Engineers
2	Refresher Course	22-23 May-19/Patna	59 Mason Trainers
3	7 Days Mason Training	25-31 May-2019/Gaya	**481 Mason Trained**
4	4 Days Engineers Training	29 May to 01 June-19/Gaya	33 Engineers

7 days Mason training in Gaya District			
Sr.	**Name of Block**	**Training Date**	**No. of mason trained**
1	नीमचकबथानी	**25 to 31 May 2019**	30
2	अतरी		29
3	खिजरसराय		26
4	मानपुर		28
5	वजीरगंज		25
6	मुहरा		28
7	कोंच		29
8	टेकारी		25
9	बेलागंज		19
10	गया सदर		27
11	परैया		30
12	गरारू		29
13	टनकुप्पा		29
14	फतेहपुर		26
15	मोहनपुर		20
16	बराचट्टी		28
17	डोभी		25
18	बोधगया		28
Total			481

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करना आवश्यक : ऑब्जर्वर

प्रतिनिधि ▷ वजीरगंज

प्राकृतिक आपदा को देखते हुए भूकंपरोधी भवनों का निर्माण आवश्यक है. उक्त बातें राज्यस्तरीय ऑब्जर्वर शिवशंकर प्रसाद ने अंचल कार्यालय के सभागार में आयोजित आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही. 25 राजमिस्त्रियों को सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. इस पर उप प्रमुख ललन प्रसाद यादव , पूर्व मुखिया अभय सिंह सहित सभी राजमिस्त्री व प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे.

प्रमाणपत्र व चेक लेते राजमिस्त्री.

अतरी. जगदीश चंद्र प्लस टू उच्च विद्यालय, टेटुआ में सात दिवसीय भूकंपरोधी भवन निर्माण को लेकर दिया जा प्रशिक्षण का समापन हो गया. यह प्रशिक्षण अतरी प्रखंड क्षेत्र के 30 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षक के रूप में पटना आये इंजीनियर अभिषेक कुमार व दो सहायक प्रशिक्षण दिया. यह प्रशिक्षण 25 मई से 31 मई तक चला. प्रशिक्षण समापन के उपरांत सभी प्रशिक्षण लेने वालों को प्रशिक्षण प्रमाण -पत्र व प्रत्येक को 4900 रुपये दिये गये. यह प्रशिक्षण बीडीओ पंकज कुमार की देखरेख में दिया गया.

नीमक बथानी. प्रखंड कार्यालय के सभागार परिसर में आपदा प्रबंधन पर राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्य शुक्रवार को समापन की गयी. प्रशिक्षण में भाग ले रहे प्रखंड के कुल 30 राजमिस्त्रियों को प्रमाणपत्र वितरित की गयी. प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्मल कुमार ने बताया की यह प्रशिक्षण 25 मई से लेकर 31 मई तक चला. प्रशिक्षक शिवम शर्मा, राजेश कुमार, सैयद तारीफ नदीम प्रशिक्षण देने का कार्य किये. समापन कार्यक्रम में रामप्रवेश तिवारी, प्रखंड समन्वयक रविकांत गोस्वामी समेत सभी राजमिस्त्री भाग लिया.

राजमिस्त्रियों ने बताया प्रशिक्षण का अनुभव, मानपुर. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मानपुर प्रखंड पर पिछले सात दिनों से 30 राजमिस्त्रियों को भवन निर्माण संबंधित प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण शिविर का समापन शुक्रवार को हुआ. मुख्य अतिथि सह उप प्रमुख कुमारी अंजू ने कहा कि प्रशिक्षित राज मिस्त्री गांव से लेकर शहर तक के भूकंप रोधी मकान निर्माण करेगा. इससे आम लोगों को काफी लाभ प्राप्त होगा. मौके पर बीडीओ अभय कुमार ने प्रशिक्षित कामगारों को बधाई दी. मौके पर प्रशिक्षक सह इंजीनियर आनंद गौरव, मोहम्मद अरशाद आलम व मोहम्मद हुसैन भी अपनी प्रशिक्षण के अनुभवों को विस्तारपूर्वक बताया.

गुरारू. भूकंप रोधी मकान के निर्माण के लिए बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित राज मिस्त्रियों के सात दिवसीय प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को हो गया. उक्त प्रशिक्षण प्लस टू सर्वोदय विद्या मंदिर के सभाकक्ष में दिया गया. प्रशिक्षण के समापन पर बीडीओ योगेंद्र पासवान ने प्रशिक्षणार्थी 19 राज मिस्त्रीयों को प्रमाणपत्र के साथ-साथ प्रोत्साहन राशि के रूप प्रति व्यक्ति 49 सौ रुपये प्रदान दिया. मास्टर ट्रेनर नरेश कुमार, सुनील कुमार, भीम प्रसाद यादव ने सभी को प्रशिक्षण दिया.

भूकंपरोधी भवन निर्माण करने की दी जानकारी, टिकारी. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा भूकंपरोधी भवन निर्माण के लिए चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हुआ. प्रखंड कार्यालय के सभा भवन में चयनित राज मिस्त्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण की तकनीक की जानकारी दी गयी. भवन निर्माण के लिए प्रशिक्षित किये गये कुल 25 राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण उपरांत बीडीओ उदय कुमार द्वारा 4900 रुपये का चेक व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र दिया गया. प्रशिक्षक संतोष कुमार, टुनटुन कुमार व शिवशंकर कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया. मौके पर प्रखंड प्रशासन के अलावा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कई राज मिस्त्री मौजूद थे.

परैया. प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित ई-किसान भवन में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूकंपरोधी भवन निर्माण का सात दिवसीय प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को हुआ. प्रशिक्षण के समापन पर परैया बीडीओ अरुण कुमार निराला ने सभी प्रशिक्षु को प्रमाणपत्र व 4900 रुपये का चेक प्रदान किया. पटना से आये ट्रेनिंग इंजीनियर आदिल खान और ट्रेनिंग इंचार्ज गोविंद गौरव व बिहार राज्य आपदा पर्यवेक्षक इंद्रजीत कुमार ने सभी को प्रशिक्षण दिया. समापन कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख जितेंद्र नारायण यादव, उप प्रमुख अजीत कुमार, जिला पर्षद पति नरेश प्रसाद, मुखिया सुनील कुमार, कृष्णा यादव आदि शामिल थे.

गया. नगर प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा भवन में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूकंपरोधी भवन निर्माण का सात दिवसीय प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को हुआ. इस मौके पर प्रशिक्षण प्रभारी सपना कुमारी व बीडीओ कुमारी आरुष ने प्रशिक्षु राजमिस्त्रियों को प्रमाणपत्र व 49 सौ रुपये लेकर सम्मानित किया. इस प्रशिक्षण में 30 राज मिस्त्रियों ने भाग लिया था. लेकिन, 27 राज मिस्त्रियों को प्रमाणपत्र व 49 सौ रुपये लेकर सम्मानित किया गया.

छप्परवत रोधी मकान बनाने के दिये टिप्स, गया. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार डॉ सुनील कुमार चौधरी ने शुक्रवार को चक्रवात रोधी मकान बनाने की बारीकियों को बड़े ही सरल व सहज ढंग से समझाया. डॉक्टर चौधरी ने भूकंप व उससे होने वाली क्षति के साथ साथ भूकंप रोधी तकनीक से फ्रेम व बौक्स भवन निर्माण के सिद्धांत व कोडल प्रावधान के संबंध में विस्तार से बताया. उन्होंने रैपिड भिजुअल स्क्रीनिंग के माध्यम से भवनों के भूकंप रोध के स्तर को पता लगाने के सैद्धांतिक व प्रायोगिक ज्ञान से अभियंताओं को अवगत कराया. उन्होंने उपस्थित अभियंता को चक्रवातरोधी मकान के निर्माण में बांस के प्रयोग व ढालदार छत को तिकोने बैंड से बांधने के तरीकों के सैद्धांतिक व प्रायोगिक ज्ञान को विस्तार से समझाया. इस मौके पर बड़ी संख्या में अभियंता मौजूद थे.

प्रभात खबर
Sat, 01 June 2019
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/39928877

(B) e[;e=h fo|ky; lqj{kk dk;Øe

1- fo|ky;k e lqjf{kr 'kfuokj dk fØ;kUo;u

इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को बाल प्रेरकों एवं फोकल शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों में आपदा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाना था। अभी तक 37 जिलों में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चूका है। सिर्फ गोपालगंज जिला में विद्यालय स्तर पर यह कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

सुरक्षित शनिवार के क्रियान्वयन दस्तावेज में वर्णित वार्षिक सारणी के अनुसार मई माह के प्रथम शनिवार को बिहार के विभिन्न विद्यालयों में "विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण'' के बारे में फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के द्वारा जानकारी दी गई। मई माह के दूसरे शनिवार को "विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण'' दी गयी। तीसरे शनिवार को ''वज्रपात (ठनका) एवं चक्रवाती तूफान/आँधी से खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी'' दी गयी। चौथे शनिवार को ''अगलगी/लू से खतरे एवं बचाव के सन्दर्भ में जानकारी'' दी गयी।

2- ftyk Lrjh; vuJo.k ,oa eY;kdu lfefr

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति के गठन के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति का गठन प्रस्तावित है। समिति का गठन करने हेतु सभी जिलों को पत्र भेजा गया है जिसकी प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है।

सुपौल, मधेपुरा एवं गया में जिला स्तरीय समिति गठित करने की सूचना प्राप्त हो चुकी है।

3- futh fo|ky;k e ekdfM+y%&

दिनांकः–14 मई, 2019 को पटना के बिहटा प्रखंड में Private Schools Association के सौजन्य से 21 निजी विद्यालयों का संयुक्त मॉकड्रिल अभ्यास आयोजित किया गया। इस मॉकड्रिल कार्यक्रम का सम्पूर्ण प्रशिक्षण एवं निर्देशन SDRF, बिहटा के द्वारा किया गया।
इस मॉकड्रिल कार्यक्रम में 21 विद्यालयों के लगभग 600 बच्चों ने भाग लिया। इस मॉकड्रिल कार्यक्रम के लिए सरस्वती पब्लिक स्कूल, पड़री, बिहटा का चयन किया गया था।

4- fo|ky;ks d s cky isjdks d s fy, lUnHk iqfLrdk ,o i f'k{k.k eksM;qy d s fuek.k d s fy, 3 fnolh; dk;s'kkyk dk vk;kstu%&

दिनांक 27–29 मई, 2019 को तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में बिहार के 17 जिलों के 35 शिक्षकों को बुला कर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमे विद्यालयों के बाल प्रेरकों के लिए एक सन्दर्भ पुस्तिका के निर्माण के लिए कार्य किया गया।

5- eq[;ea=h fo|ky; lqj{kk dk;Øe d s vrxr ftyk ,o çi[kaM Lrjh; inkfèkdkfj;ks d s ,d fnolh; mUeq[khdj.k%&

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश में जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी माना गया है जो जिले के सभी विद्यालयों में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। चूँकि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अन्य शिक्षा विभागीय पदाधिकारियों तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से ही इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं, अतः आवश्यक है कि विद्यालयों के साथ आवश्यक संवाद एवं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अन्य सम्बंधित पदाधिकारियों एवं सभी सम्बंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत "सुरक्षित शनिवार" के विषय में उन्मुखीकरण किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में पटना प्रमंडल के पटना एवं भोजपुर जिला के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण दिनांक 29 मई, 2019 को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, पटना प्रमंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

(C) þlqjf{kr rSjkdhß dk;ZØe d vrxr ekLVj VsulZ dk if'k{k.k%&

प्राधिकरण द्वारा डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम के उद्देश्य से ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों के किनारे अवस्थित गाँवों के युवक/युवतियों को निर्धारित अर्हताओं के अनुसार मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का कार्य आरंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रथम बैच में पटना जिले के पंडारक एवं मनेर प्रखंड के कुल 21 चयनित ''मास्टर ट्रेनर्स'' का 09 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 02.05.2019 से दिनांक 10.05.2019 तक National Inland Navigation Institute (NINI), पटना में सम्पन्न किया गया।

प्रशिक्षुओं को Resource Persons द्वारा एतद् विषयक प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने को बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/काँटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, संर्पदंश प्रबंधन एवं बाल संवेदनशीलता आदि विषयों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मई माह में प्रशिक्षण का विवरण निम्नांकित हैः–

क्र0 सं0	तिथि	जिला	प्रखण्ड	स्थान	कुल प्रशिक्षण प्रशिक्षु
1.	02.05.2019–10.05.2019	पटना	मनेर/पंडारक	NINI	21

जिला प्रशासन पटना से अनुरोध किया गया है कि इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जिले के पंडारक एवं मनेर प्रखंड के गंगा नदी के किनारे से 5 किमी0 की सीमा में अवस्थित गाँवों के तैराकी न जानने वाले/तैराकी का अल्प ज्ञान रखने वाले 6–18 आयुवर्ग के बच्चों/किशोरों को तैराकी का प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। जिला स्तरीय प्रशिक्षणों हेतु वित्तीय सहायता प्राधिकरण स्तर से जिले को प्रदान की जाएगी।

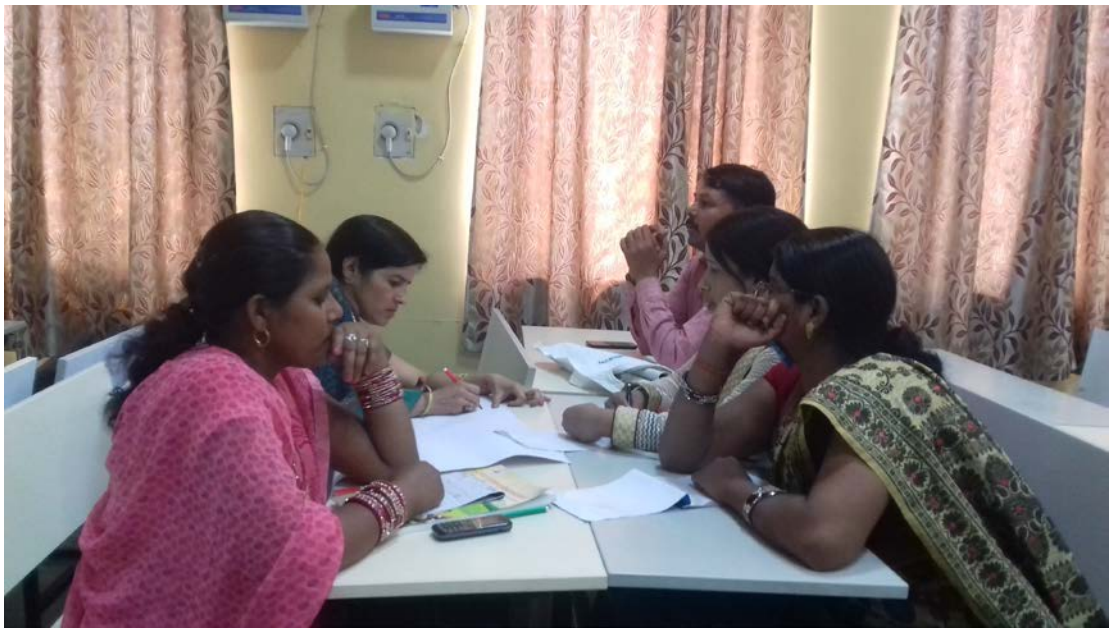

(D) vkink tksf[ke U;wuhdj.k ,oa izca/ku fo"k; ij iapk;r izfrfuf/k;ksa dk izf'k{k.k dk;Øe %&

jkT; Lrj ij izf'kf{kr ekLVj VsUuj }kjk ftyksa esa iz[kaM Lrjh; izf'k{k.k

पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा जिलों को आवश्यक वित्तीय सहयोग दिया गया है। सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किए जाने की सूचना प्राप्त हैः–

1. मधुबनी 2. मधेपुरा 3. दरभंगा 4. पूर्वी चम्पारण 5. सुपौल 6. पटना 7. सारण 8. सहरसा 9. सीतामढ़ी, 10. शिवहर 11. किशनगंज 12. नालंदा 13. सिवान 14. समस्तीपुर 15. मुजफ्फरपुर 16. वैशाली 17. बांका 18. जहानाबाद 19. कटिहार 20. पश्चिमी चम्पारण 21. बक्सर 22. अररिया 23. औरंगाबाद 24. अरवल 25. नवादा 26. खगड़िया 27. शेखपुरा 28. कैमूर 29. भागलपुर 30. बेगूसराय 31. पूर्णिया 32. रोहतास 33. जमुई 34. मुंगेर 35. गोपालगंज 36. भोजपुर 37. लखीसराय 38. गया।

उपर्युक्त जिलों से प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों के आँकड़े विहित प्रपत्र में प्राधिकरण को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है एवं उन सभी जिलों से यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों का डाटा बेस तैयार कर जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। अभी तक मात्र मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सारण, जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण, सुपौल,

बांका, समस्तीपुर, सिवान, औरंगाबाद एवं अररिया जिले से विहित प्रपत्र में प्रशिक्षण का ऑकड़ा प्राप्त हुआ है।

इन 12 जिलों से प्राप्त प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या निम्नवत् है:–

Ø0l0	ft yk dk uke	ft yk ifj"kn lnL; ¼i:[k.M {k= e: if'kf{krk dh l0½	ipk;r lfefr lnL; ¼i:[k.M {k= e: if'kf{krk dh l0½	ef[k;k ¼i:[k.M {k= e: if'kf{krk dh l0½	ljip ¼i:[k.M {k= e: if'kf{krk dh l0½	okMZ lnL; ¼i:[k.M {k= e: if'kf{krk dh l0½	ip ¼i:[k.M {k= e: if'kf{krk dh l0½	d;y if'kf{krk dh l0
1	मधुबनी	56	539	371	378	5149	5127	11620
2	मुजफ्फरपुर	25	288	263	207	1627	1291	3701
3	शिवहर	1	48	30	35	558	540	1212
4	सारण	6	294	273	239	3897	3139	7848
5	जहानाबाद	4	87	78	85	968	927	2149
6	पूर्वी चम्पारण	10	271	236	262	3234	2553	6566
7	सुपौल	15	198	146	145	1766	1631	3901
8.	बंका	13	161	117	152	1987	1912	4342
9.	समस्तीपुर	10	277	269	584	3259	3528	7927
10.	सिवान	10	272	236	253	3169	2965	6905
11.	औरंगाबाद	8	174	172	187	2494	2374	5409
12.	अररिया	22	174	172	204	2891	2828	6431
	d;y	**180**	**2884**	**2402**	**2731**	**30999**	**28915**	**68011**

शेष जिलों को लगातार स्मार दिया जा रहा है।

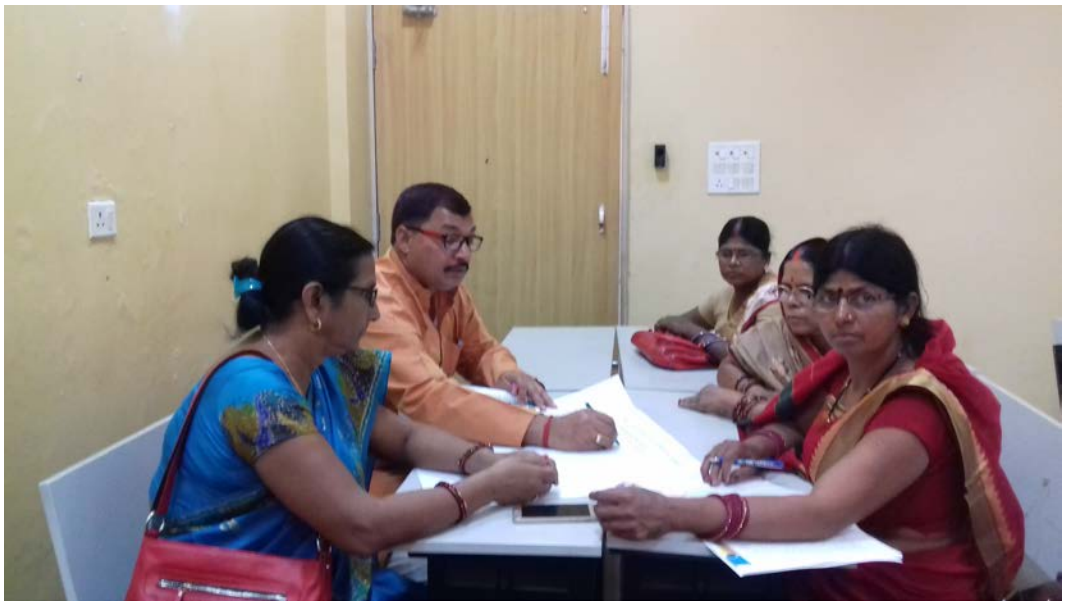

(E) vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o iczU/ku fo"k; ij fcgkj ds lHkh ftyk ds p;fur iz[k.Mksa ds izeq[k ,o ftyk ifj"kn v/;{k dk jkT; Lrjh; izf'k{k.k dk;ZdzeA

बिहार राज्य के बहु–आपदा के संबंध में प्रखण्ड स्तर तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी जागरूकता के उद्देश्य से बिहार के सभी प्रखंडों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विशय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किया गया है।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से सभी प्रखंडों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष को बहु–आपदा के जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी और इसके द्वारा आपदाओं के जोखिम की पहचान कर उससे सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्धन हो सकेगा तथा ''बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–2030'' के उद्देश्य के अनुरूप एक ''सुरक्षित बिहार'' के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी।

प्राधिकरण द्वारा माह नवम्बर 2018 से चयनित प्रखंडों के प्रमुखों को ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

Øe	fnukad	ifrHkkxh ftyk	ifrHkkfx;ksa dh la[;k
1	27–28 नवम्बर, 2018	मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, जमुई, रोहतास, अररिया, खगड़िया, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, अरवल, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, मुंगेर, पश्चिम चम्पारण।	20
2	6–7 दिसम्बर 2018	मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, खगड़िया, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, अरवल, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, पश्चिम चम्पारण, किशनगंज, भागलपुर, गया, कटिहार, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, भोखपुरा, पूर्णिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, लखीसराय, जहनाबाद।	37
3	11–12 दिसम्बर 2018	मधुबनी, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, भागलपुर, औरंगाबाद, भोखपुरा, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, अरवल, जहनाबाद, सारण, रोहतास, सिवान।	15
4	17–18 दिसम्बर, 2018	कैमूर, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, कटिहार, सहरसा, रोहतास, जहनाबाद, गया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, सारण, लखीसराय, पटना, सिवान, वैशाली, नालन्दा, मधुबनी, समस्तीपुर, भोजपुर, भागलपुर।	29
5.	27–28 दिसम्बर, 2018	नालन्दा, मधेपुरा, दरभंगा, लखीसराय, रोहतास, भोखपुरा, औरंगाबाद, भागलपुर, सिवान, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय, पश्चिम चम्पारण, कैमूर, पटना।	26
6.	3–4 जनवरी, 2019	अररिया, कटिहार, पटना, जहनाबाद, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, नवादा, मधुबनी, सुपौल, नालन्दा, गया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, सहरसा, लखीसराय, सारण, बांका, समस्तीपुर, दरभंगा, शिवहर,	28

		भोखपुरा, मधेपुरा, गोपालगंज, भागलपुर	
7.	11–12 जनवरी, 2019	दरभंगा, गया, पूर्णिया, मुंगेर, रोहतास, कटिहार, सुपौल, नालन्दा, भोजपुर, मधुबनी, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण, सारण, पश्चिम चम्पारण	17
8.	17–18 जनवरी, 2019	कटिहार, नवादा, बेगूसराय, गया, भोजपुर, समस्तीपुर, पटना, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा	13
9.	30–31 जनवरी, 2019	खगड़िया, गया, वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर	21
10.	5–6 फरवरी, 2019	सारण, कैमूर, शिवहर, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली, सिवान, रोहतास, सीतामढ़ी, अरवल	25
11.	12–13 फरवरी, 2019	कटिहार, मधेपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, नवादा, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण	15
12.	9–10 मई, 2019	भागलपुर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, कि ानगंज	24
13.	30–31 मई, 2019	पूर्वी चम्पारण, बेगूसराय, सारण, पटना, खगड़िया।	17
		कुल	287

इस प्रकार माह मई 2019 तक कुल 287 प्रखंड प्रमुखों को प्रशिक्षित किया गया है।

ukV%& लोक सभा निर्वाचन 2019 की अवधि में माह मार्च एवं अप्रैल में प्रशिक्षण नहीं किया जा सका था।

(F) "Management of Animals in Emergencies" विषय पर बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण।

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, जहाँ सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती है। यह राज्य जहाँ एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप को झेलता है वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर एवं लू इत्यादि आपदओं से भी इस राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित रहता है। इन आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते है और आपदाओं की स्थिति में मानव के साथ–साथ पशु संसाधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि की आपदाओं को घटित होने से रोका तो नही जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशु चिकित्सकों का कौशल विकास कर तथा आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के मद्देनजर ''आपात स्थिति में पशु प्रबंधन'' (Management of Animals in Emergencies) विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पशु चिकित्सकों के चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार भेटनरी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में तथा World Animal Protection (WAP) और Policy Perspectives Foundation (PPF) के सहयोग से दिनांक 04 जून, 2018 से आरम्भ किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में किस तरह से पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन किया जाय। मई माह तक कुल 29 बैचो का प्रशिक्षण निम्नानुसार आयोजित किया गया है:–

c/p la[;k	fnukad	izfrHkkfx;ksa dh la[;k
1	4—7 जून, 2018	35
2	15—18 जून, 2018	35
3	20—23 जून, 2018	35
4	27—30 जून, 2018	35
5	11—14 जुलाई, 2018	35
6	16—19 जुलाई, 2018	35
7	23—26 जुलाई, 2018	35
8	28—31 जुलाई, 2018	35
9	17—20 सितम्बर, 2018	34
10	26—29 सितम्बर, 2018	35
11	3—6 अक्टूबर, 2018	34
12	7—10 अक्टूबर, 2018	30
13	11—14 अक्टूबर, 2018	35
14	2—5 जनवरी, 2019	34
15	7—10 जनवरी, 2019	35
16	16—19 जनवरी, 2019	35
17	21—24 जनवरी, 2019	35
18	28—31 जनवरी, 2019	35
19	4—7 फरवरी, 2019	35
20	20—23 फरवरी, 2019	35
21	25—28 फरवरी, 2019	35
22	5—8 मार्च, 2019	33
23	11—14 मार्च, 2019	31
24	24—27 अप्रैल, 2019	38
25	3—6 मई, 2019	37
26	14—17 मई, 2019	39
27	20—21 मई, 2019	39
28	22—25 मई, 2019	37
29	28—29 मई, 2019	40
	dqy	1021

इस प्रकार माह मई 2019 तक कुल 1021 पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(G) cgqefty ,oa O;olkf;d Hkouksa ¼futh ,oa ljdkjh½] vLirkyksa esa vfXu lqj{kk lac/kh dk;Z ;kstuk 2017 ij ,d fnolh; leh{kkRed cSBdA

दिनांक 07.05.2019 को बहुमंजिले एवं व्यवसायिक भवनों (निजी एवं सरकारी), अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्य योजना, 2017 पर प्रस्तुतीकरण हेतु प्राधिकरण के सभा कक्ष में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया गया जिसमें विभिन्न संबंधित हितभागियों ने भाग लिया–

- अग्निशाम सेवा
- भवन निर्माण विभाग
- गृह विभाग
- नगर विकास विभाग
- उर्जा विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- मानव संसाधन विभाग
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में अगलगी की घटित होने वाली घटनाओं में कमी लाने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा समुदाय एवं विभिन्न हितभागियों के सहयोग से सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से गहन विचार विमर्श कर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18(2)(d) के आलोक में तैयार मार्गदर्शिका (Guideline) में विभिन्न एजेन्सियों को सौंपे गए दायित्वों के अनुपालन पर विमर्श करना एवं उन्हें संवेदित करना था। इसी क्रम में सर्व प्रथम विभिन्न हितधारकों के दायित्वों के ऊपर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया जिसमें अग्नि सुरक्षा कार्यों में उनकी भूमिका की चर्चा की गयी।

अंत में अग्नि सुरक्षा संबंधित बेहतरीन कार्यों हेतु पी0एम0सी0एच0, पटना, आई0जी0आई0सी0, पटना तथा रूबन मेमोरियल हॉस्पीटल के प्रबंधकों को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(H) fcgkj esa xeZ gok,a@yw dh dk;Z ;kstuk (Heat Action Plan) ij dk;Z'kkyk

दिनांक 15.05.2019 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गर्म हवाएं/लू से सुरक्षा एवं बचाव संबंधी जारी मार्गदशिका Heat Action Plan पर हितधारको को संवेदित करने तथा योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति पर चर्चा हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न हितधारक विभाग, यथा, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास विभाग, उर्जा विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा चयनित जिलों के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी एवं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, विभिन्न सिविल सोसाईटी संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला में निर्णय हुआ कि सभी हितभागी इस वर्ष से प्रारंभ कर गर्म हवाओं/लू से आम जन के बचाव हेतु Heat Action Plan के अनुसार आवश्यक कार्रवाईयाँ सुनिश्चित करेंगे ताकि राज्य की जनमानस को लू एवं गर्म हवाओं जैसी आपदा के समय सुरक्षा की जा सके।

कार्यशाला में विभिन्न हितधारकों द्वारा गर्म हवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने हेतु रोकथाम, न्यूनीकरण, क्षमता, संवर्धन एवं पूर्व तैयारियों संबंधी की जाने वाली कार्रवाईयों एवं प्रबंधों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई तथा सभी ने उत्साह पूर्वक उसमें भाग लिया।

(I) ck<+ lqj{kk lIrkg ¼01&07 tqu 2019½ dh rS;kfj;ksa gsrq vk;ksftr cSBdA

दिनांक 17.05.2019 को प्राधिकरण के सभाकक्ष में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून 2019) की तैयारियो हेतु बैठक आयोजित की गई जिसमें विभिन्न हितभागियों यथा – जल संसाधन स्वास्थ्य विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, पशुपालन विभाग,एन0 डी0 आर0 एफ0,एस0 डी0 आर0 एफ0 तथा आई0 एन0 जी0 ओ0 के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिसमें कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

fnukad@ le;	dk;ZØe	mÙkjnkf;Ro@ ukMy	fgrHkkxh	LFkku
31-05-2019	isl okrkZ	izkf/kdj.k@ vkbZ-ih-vkj-Mh-	ehfM;k dehZ	lqokn d{k] vkbZ-ih-vkj-Mh-
1.06.2019 (शनिवार) (4:00 से 6:00 बजे अप0)	बाढ़ सुरक्षा संबंधी मॉकड्रिल	दियारा विकास मंच, एन.डी. आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. एवं प्राधिकरण	दियारा के ग्रामीण	हल्दी छपरा, मनेर
03.06.2019 (सोमवार) (10:00 से 5:00 बजे अप0)	बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु अति बाढ़ प्रवण जिलों के मुखिया के साथ राज्यस्तरीय कार्यशाला	प्राधिकरण और डेवलपमेंट पाटनर्स	मुखिया/ग्रमीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग /आपदा प्रबंधन विभाग/ एन.डी.आर.एफ./एस. डी.आर.एफ./गृह रक्षा वाहिनी /अग्निशाम सेवाऐं/नागरिक सुरक्षा/जीविका	बामेती
4.06.2019 (शुक्रवार) (10:00 से 2:00 बजे अप0)	मीडिया कंसल्टेसन वर्क्स सॉप	यूनिसेफ/प्राधिकरण	इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया/एफ.एम. चैनल्स कम्युनिटी मीडिया	मौर्या/ चाणक्या
07.06.2019 (शुक्रवार) (10:00 से 5:00 बजे अप0)	सामजिक क्षेत्र की सेवाऐं प्रदान करने वाले विभागों के साथ राज्यस्तरीय समीक्षात्मक कार्यशाला	प्राधिकरण/ यूनिसेफ	आपदा प्रबंधन विभाग/समाज कल्याण विभाग/आइ.सी.डी.एस./पशुपालन विभाग/ पंचायती राज विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/पी.एच.ई.डी. /ग्रामीण विकास विभाग/ शिक्षा विभाग	ए.एन. सिन्हा इंस्टीच्यूट/ चाणक्या होटल

(J) 'kgjh ck<+ dh jksdFkke 'keu vkSj rS;kjh gsrq iVuk ?kks"k.kk i= ds vkyksd esa lehf{kkRed cSBdA

दिनांकः— 01—07 जून 2018 को शहरी क्षेत्र में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यशाला में प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आलोक में शहरी बाढ़ की रोकथाम, शमन एवं तैयारी हेतु पटना घोषणा पत्र जारी किया गया था। उक्त घोषणा पत्र से संबंधित सभी विभागों एवं अन्य हितभागियों के साथ कृत कार्रवाईयों की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 21.05.2019 को प्राधिकरण के सभा कक्ष में आहूत की गयी। उक्त बैठक में शहरी क्षेत्र में बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में की जा रही कार्रवाईयों पर विचार किया गया एवं निम्नांकित बिन्दु उभरः—

1. नगर विकास एवं आवास विकास ने बताया कि—नाला उड़ाही का काम किया जा रहा है।
2. PHED के प्रतिनिधि ने बताया कि उक्त विभाग शहरी इलाकों में बाढ़ के दौरान पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तैयारियों के लिए अंतर विभागीय चर्चा कर एक SOP तैयार करेगा ताकि पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं जलजनित बीमारियों को कम करने में मदद मिले।
3. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक ने निम्नलिखित सुझाव दिया —
   - बाढ़ से पूर्व शहर के ड्रेनेज के exit point चिन्हित करके उसकी सफाई की जाए।
   - शहर की छोटी नालियों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए।

4. नगर विकास विभाग को सुक्षाव दिया गया कि सभी नगर निकायों के पास परम्परागत एवं निर्मित ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा रहना चाहिए ताकि उनका उपयोग शहरी बाढ की रोक थाम हेतु किया जा सके।

5. आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध किया गया CMG की बैठक के एजेंडे में शहरी बाढ़ को शामिल किया जाए।

6. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया कि बाढ़ के दौरान खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के क्रम में सुरक्षित स्थल चिन्हित करने के लिए निर्देश भेजा गया है। साथ ही FCI को बाढ़ से पूर्व खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं।

7. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा पटना घोषणा पत्र के अंतर्गत कारवाई पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया गया इसकी महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैः–

- शहर के नालों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए।
- तालाबों को आपस में जोड़ा जाए।
- सभी शहरों की शहर आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाए।
- प्रत्येक शहरों का "ड्रेनेज का मास्टर प्लान" बनाया जाए।
- शहरों में पीने के पानी और ड्रेनेज की पाइप लाइन अलग–अलग होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि शहर की ड्रेनेज संरचना पर कोई विकासात्मक कार्य नही किया जाए।
- शहर के प्रत्येक वार्ड में वर्षा से संबंधित आकड़ों को एकत्रित किया जाना चाहिए। इन आकड़ों का उपयोग भविष्य में बाढ़ से बचाव के प्रबंधन में किया जा सकता है।
- शहरी क्षेत्रों में फ्लड मैपिंग के लिए चिन्हित स्थानो की GIS मैपिंग की जानी चाहिए।

अंततः Way Forward के रूप में शहरी क्षेत्रों में बाढ़ जोखिमों पर प्रकाश डालते हुए मुम्बई और चेन्नई शहरों की बाढ़ का उदाहरण दिया गया। पटना घोषणा पत्र की पृष्ठभूमि, इसकी आवश्यकता और आहूत बैठक के उद्देश्य की जानकारी दी गयी तथा शहरों में ड्रेनेज सिस्टम से अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह भी तथ्य उभरा कि जल जमाव के कारण शहरी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसका खतरा पटना को भी है। मॉनसून का समय आ गया है अतएव पटना घोषणा पत्र के आलोक में सभी संबंधित विभाग अपनी तैयारियों को पूर्ण कर लें। साथ ही जल संरक्षण के उपाय करें ताकि भविष्य में जल संकट उत्पन्न न हो।

(K) Mass Messaging/Whatsapp Advisory

1. मई माह में प्राधिकरण द्वारा ‘‘xel gok,@yw ls lqj{kk dk mik;’’ rFkk ‘‘vxyxh ls cpus dk mik;’’ पर Mass Messaging किया गया जो निम्नांकित हैः– पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद् सदस्योंः–(643122), आशा कर्मचारियों (77542), जीविका दीदी (148890), आंगनबाड़ी सेविका (45946), फायर सर्विसेस (142), फौरेस्ट ऑफिसर (175)।

fcgkj jkT; vkink izca/ku izkf/kdj.k }kjk izf'kf{kr%& फोकल टीचर (1542), नाविक एवं नाव मालिक (5324), मुखिया और सरपंच (968), प्रमुख (196), अभियंत्ता (827), मैसन (4992+97=5089), आपदा मित्र (150), आदि लोगों को Mass Messaging द्वारा जागरूक किया गया।

iz'kklu%& DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), DCLR (102), Commisioners (9)

2. मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षित शनिवार की Monitoring के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हर सप्ताह वार्षिक सारणी पर आधारित Mass Messaging किया जा रहा है। Mass message के नमूने अगले पृष्ठों पर दिए गए हैं।

xe gok,@y l lj{kk d mik;%&

जब भी बाहर धूप में जायें

जितना बार हो सके पानी पीयें, बार–बार पीयें, सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।

यथा संभव हल्के रंग के, ढीले ढाले एवं सूती कपडे पहने।

धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें, गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें व हमेशा जूता या चप्पल पहनें।

हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसेः– तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का अधिकाधिक सेवन करें।

जानवरों को छाँव में रखें एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें।

अगर तबियत ठीक न लगे या चक्कर आये तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

xeh dk ekle 'k: gk x;k gA ,l e xe iNvk gok d dkj.k vxyxh dh lHkkouk c< jgh gA

अगलगी से बचाव हेतु कृपया ध्यान देंः–

दिन का खाना 9 बजे सुबह के पहले एवं रात का खाना शाम 6 बजे की बाद ही बनाएं।

हवन–अनुष्ठान आदि सुबह 9 बजे से पूर्व कर लिया जाए।

खाना बनाकर चूल्हे की आग को पानी से अच्छी तरह बुझा दें।

खेत–खलिहान के आस–पास बीड़ी सिगरेट न पीयें, न पीने दें।

खेतों में फसल काटने के बाद बचे डंठल को नहीं जलाएं।

आग लगने पर फायर ब्रिगेड (101 नंबर) पर एवं प्रशासन को सूचित करें एवं सहयोग करें।

e[;e=h fo|ky; lj{kk dk;Øe d vrxr ekp e Hkt x; elt iFke 'kfuokj

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम–सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत इस शनिवार दिनांकः–04.05.2019 को बिहार के सभी विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण किया जाना है।

कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों में देखें कि इस शनिवार को संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

आपका थोड़ा–सा सहयोग बच्चों को आपदओं से सुरक्षित रखने हेतु मूल्यवान है।

निम्नलिखित नम्बर पर मैसेज भेजे गयेः– मुखिया सरपंच, प्रमुख (बिहार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षित)–181 शिक्षितः–(बिहार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षित)– 1,542, DPO- 80
DM(38).ADM(38),BDO(534),CO(534),DCLR(102),Commisioners(9).
1,255 .

n|ljk 'kfuokj

e|[;e=h fo|ky; lj{kk dk;Øe%&

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम–सुरक्षित शनिवार के अनतर्गत इस शनिवार (11.05.2019) को बिहार के सभी विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण किया जाना है।

कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों में देखें कि इस शनिवार को संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

आपका थोड़ा सा सहयोग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने हेतु मूल्यवान है।
मुखिया सरपंच, प्रमुख (बिहार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षित)–181
शिक्षितः–(बिहार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षित)– 1,542, DPO- 80
DM(38).ADM(38),BDO(534),CO(534),DCLR(102),Commisioners(9).
1,255 .

rhljs 'kfuokj

मुख्यमंत्री विद्यालयों सुरक्षा कार्यक्रम–सुरक्षित शनिवार के अन्तर्गत इस शनिवार को (18.05.2019) को बिहार के सभी विद्यालयों में चेतना एवं अंतिम सत्र मे बच्चों को वज्रपात (ठनका) एवं चक्रवाती तूफान/आँधी से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी दिया जाना है।

कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों में देखें कि इस शनिवार को संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
आपका थोड़ा–सा सहयोग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने हेतु मूल्यवान है।
मुखिया सरपंच, प्रमुख (बिहार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षित)–196
शिक्षितः–(बिहार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षित)– 1,542, DPO- 80
DM(38).ADM(38),BDO(534),CO(534),DCLR(102),Commisioners(9).
1,255 .

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

pkFk 'kfuokj

मुख्यमंत्री विद्यालयों सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार के अन्तर्गत इस शनिवार (25.05.2019) को बिहार के सभी विद्यालयों के चेतना एवं अंतिम सत्र में बच्चों को अगलगी/लू से खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी दिया जाना है।

कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों में देखें कि इस शनिवार को संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

आपका थोड़ा–सा सहयोग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने हेतु मूल्यवान है।

निम्नलिखित नम्बर पर मैसेज भेजे गयेः– मुखिया सरपंच, प्रमुख (बिहार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षित)–196 शिक्षितः–(बिहार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षित)–1,542, DPO- 80
DM(38).ADM(38),BDO(534),CO(534),DCLR(102),Commisioners(9).
1,255